न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :—197 / 2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सहदेव सिंह पुत्र प्रभू सिंह उम्र 66 वर्ष, जाति पुरोहित, निवासी धनवा, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1— अचलसिंह पुत्र भगवाना उम्र 35 वर्ष 2— अणछी पत्नी भगवाना उम्र 58 वर्ष 3— अर्जुनसिंह पुत्र भगवाना उम्र 32 वर्ष 4— आम्बसिंह पुत्र भगवाना उम्र 28 वर्ष 5— नरपतसिंह पुत्र भगवाना उम्र 30 वर्ष 6— श्रवणसिंह पुत्र भोपसिंह उम्र 55 वर्ष 7— सुबादेवी पत्नी भोपसिंह उम्र 75 वर्ष 8— इन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह उम्र 55 वर्ष 9— खीमसिंह पुत्र तुलछसिंह उम्र 35 वर्ष 10— छगनसिंह पुत्र मोतीसिंह उम्र 36 वर्ष 11— जेठुसिंह पुत्र तुलछसिंह उम्र 32 वर्ष 12— धूकसिंह पुत्र मोतीसिंह उम्र 50 वर्ष 13— पूरसिंह पुत्र मोतीसिंह उम्र 32 वर्ष 14— मदनकंवर पुत्री तुलछसिंह उम्र 33 वर्ष 15— मोरोंदेवी पत्नी तुलछसिंह उम्र 56 वर्ष 16— मोहनीदेवी पुत्री तुलछसिंह उम्र 32 वर्ष 17— रेशाकंवर पुत्री तुलछसिंह उम्र 35 वर्ष 18— शंकरसिंह पुत्र मोतीसिंह उम्र 42 वर्ष 19— हेड़मतसिह पुत्र तुलछसिंह उम्र 38 वर्ष जातियान पुरोहित, निवासीयान धनवा, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 20— शाखा प्रबंधक महोदय एस.बी.आई. शाखा दांखा 21— शाखा प्रबंधक महोदय दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक शाखा पादरू 22— भूमिपति तहसीलदार महोदय सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:08 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित—

1.श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा—

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश

दिनांक– 12.05.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा धनवा पटवार हल्का धनवा, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा संख्या 24,374,88,95,99,340,90,164,303 कुल रकबा 31.7371 हैक्टेयर भूमि में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते वक्त राजस्व कार्मिकों द्वारा भूलवंश सही नाम सहदेव सिंह पुत्र प्रभू सिंह के स्थान पर प्रार्थी का गलत नाम सहदेव पुत्र प्रभू उर्फ प्रबू दर्ज कर दिया गया है जो गलत दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम सहदेव सिंह पुत्र प्रभू सिंह है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर सहदेव पुत्र प्रभू उर्फ प्रबू के स्थान पर सहदेव सिंह पुत्र प्रभू सिंह दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 22 की तरफ से पैरोकार सरकार उप.। शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया मौजा धनवा पटवार हल्का धनवा, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा संख्या 24,374,88,95,99,340,90,164,303 कुल रकबा 31.7371 हैक्टेयर भूमि में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते वक्त राजस्व कार्मिकों द्वारा भूलवंश सही नाम सहदेव सिंह पुत्र प्रभू सिंह के स्थान पर प्रार्थी का गलत नाम सहदेव पुत्र प्रभू उर्फ प्रबू दर्ज कर दिया गया है जो गलत दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम सहदेव सिंह पुत्र प्रभू सिंह है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर सहदेव पुत्र प्रभू उर्फ प्रबू होने से प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं हो रहा हैं, आगे ओर कथन किया कि विप्रार्थी तहसीलदार सिणधरी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है, कि प्रार्थी का वास्तविक नाम सहदेव सिंह पुत्र प्रभू सिंह ही है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में इन्द्राज प्रार्थी का नाम सहदेव पुत्र प्रभू उर्फ प्रबू के स्थान पर सहदेव सिंह पुत्र प्रभू सिंह दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:08 IST
Reason: SelfAttested

4. हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन एवं पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व जवाब का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मौजा धनवा पटवार हल्का धनवा, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा संख्या 24,374,88,95,99,340,90,164,303 कुल

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

कबा 31.7371 हैक्टेयर भूमि में अवस्थित प्रार्थी का नाम सहदेव सिंह पुत्र प्रभू सिंह के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में राजस्व कार्मिकों की भूलवंश से प्रार्थी का नाम सहदेव पुत्र प्रभू उर्फ प्रबू गलत नाम दर्ज हो रखा है। क्योकि प्रार्थी का सही नाम सहदेव सिंह पुत्र प्रभू सिंह है। इससे साबित होता है कि प्रार्थी का नाम सहदेव पुत्र प्रभू उर्फ प्रबू न होकर सहदेव सिंह पुत्र प्रभू सिंह है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम इन्द्राज की प्रविष्टि तत्कालीन हल्का पटवारी की गलती से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है, इस प्रकार प्रार्थी अपने आप को सहदेव पुत्र प्रभू उर्फ प्रबू के स्थान पर सहदेव सिंह पुत्र प्रभू सिंह दुरूस्त करवानें का हकदार है। इसी प्रकार तहसीलदार सिणधरी ने अपने जबाव में स्वीकार किया है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम इन्द्राज हो रखा है,जबकि का सही नाम जैसाराम है। पत्रावली के सलंग्न दसवेजी साक्ष्यो–सरकारी दस्तावेजात यथा–, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, महानरेगा जॉब कार्ड, पैनकार्ड, जन आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम सहदेव सिंह पुत्र प्रभू सिंह अंकित है। उपरोक्त विवेचन से साबित होता है,कि प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम सहदेव पुत्र प्रभू उर्फ प्रबू इन्द्राज हो रखा है, जबकि प्रार्थी का सही नाम सहदेव सिंह पुत्र प्रभू सिंह है, जो दुरूस्ती करवानें के योग्य है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा धनवा पटवार हल्का धनवा, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खेत खसरा संख्या 24,374,88,95,99,340,90,164,303 कुल रकबा 31.7371 हैक्टेयर में **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि प्रार्थी का नाम सहदेव पुत्र प्रभू उर्फ प्रबू के स्थान पर सहदेव सिंह पुत्र प्रभू सिंह दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:08 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 12.05.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी